



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 337/अका./सम्बद्धता/2022

रायपुर, दिनांक : 13/10/2022

॥ आदेश ॥

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2022 में निर्णय क्र. 3(vi) स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, जिला-रायपुर में कक्षा बी.ए.-तृतीय वर्ष में अंग्रेजी को सम्मिलित करते हुए कार्यवृत्त में संशोधन की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.10.2022 के अनुमोदनानुसार निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय/छात्र संख्या के लिये सत्र 2022-23 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.ए. तृतीय वर्ष (आ.पा., समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी)	60 सीट	2022-23

शर्त :-

- 01 कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 130/311/आउशि/अ.शै.प्र./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02.03.2022 द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
06. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
10. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)
रायपुर, दिनांक 13/10/2022

पृ. क्रमांक-338/अका./सम्बद्धता/2022

प्रतिलिपि :-

- 01 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- 02 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 03 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 04 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- 05 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- 06 स.क.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.क.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,

- 07 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- 08 संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी संघ मर्यादित आदर्श नगर, कांकेर रोड, रांची-झारखंड पिन नं. 834008
- 09 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग 'ब'

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 1877/क/2022 दिनांक 22/6/2022

निरीक्षण की तिथि : 4/7/2022


प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा:	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
बी.ए. पूरीय वर्ष	आंग्ल, समाजिक, कानून, इतिहास, राजनीति, अंग्रेजी (हि.दी, कौमुदी)	60	2022-23	12 मीय 16 प्रवेश पाठकों को प्रवेश दे


क्र.	विवरण	भाग 'अ' में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	अपेक्षित
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	5.3 एकर
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	20 लाख
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	वैध है
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	स्वयं का भवन
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षा की उपलब्धता	3(xiv)	वैध है
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षा की उपलब्धता	3(xvi)	N.A.
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	N.A.
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	अनुयायी शिक्षक नियुक्त हैं प्रमाण 28 के साथ एक होने की जानकारी प्रदान की गई

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	परिचय 28 में ग्रंथपाल नियुक्त हैं, पुस्तक उपलब्धता के लिए पुस्तक की आवश्यकता है
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	कार्यक्रम सुनिश्चित होना चाहिए
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्वद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं?		परिचय 28 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी कुछ विषयों में साधकता पर्याप्त नहीं है, अनुमान है कि जगह जावकाय है
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		NA
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्वद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		① सभी विषयों में परिचय 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है ② सैद्धांतिक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर


 4/8/2022

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. डॉ. व. एस. शर्मा
 2. डॉ. अ. एस. शर्मा
 3. डॉ. अ. एस. शर्मा
 - 4.
- 
 4/8/2022

दिनांक 4/8/2022

प्रति,
 कुलसचिव
 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
 रायपुर (छ.ग.)

